न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 20 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025 / 33

अनवान

1. श्यामलाल पिता गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
2. मदनलाल पिता गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
3. गंगादेवी पत्नि गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
4. बक्षी पुत्री गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1. लेहरू पिता जग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता महाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. छितर पिता रूपा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशन पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 179, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. अमरसिंह चारण — वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय दिनांकः— 10/3/2026

1. प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नयाखेड़ा जाटान पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के स्वामित्व की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :—

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
1	26	4379	0.44
2	26	4380	0.20
3	26	4381	0.17
4	26	4382	0.27
	कुल किता कुल रकबा	**4**	**1.08**

प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश की है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया। इस पर वादीगण ने पत्थरगढ़ी बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया। माफिक आदेश भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा नपती की गई, जिसमें आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लेहरू पिता जग्गु गुर्जर का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 हीरालाल पिता महाराम गुर्जर का अनाधिकृत कब्जा पाया, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पिता रूपा गुर्जर एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने पत्थरगढ़ी पर्चा मौका एवं नक्शा में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। प्रमाण में पत्थरगढ़ी आदेश, पर्चा मौका मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश की है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण की भूमि से अनाधिकृत कब्जा नही हटाया गया। पत्थरगढ़ी के दौरान लगाये गए पत्थर को हटा दिया तथा वादीगण को कब्जा सिपूर्द करने बाबत मना कर दिया जबकि उनको वादीगण की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण ने अन्तिम बार दिनांक 08.12.2024 को कहा परन्तु प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नही हुए है।

4. अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री प्रदान फरमाई जावे कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल कराया जाकर वादीगण के पक्ष में कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादीगण के कब्जे कराई जावें। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण की वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द नही करें, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट नही करे, आराजी में खड़े वृक्षो को नही काटें।

5. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 18.08.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 5 औपचारिक पक्षकार है।

6. प्रकरण में श्यामलाल पिता गोवर्धन लाल वैष्णव व गंगादेवी पत्नि गोवर्धन लाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान ने शपथ पर बयान किए गए। अपनो बयानों में अंकन किया कि वादवर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया। इस पर वादीगण ने पत्थरगढ़ी बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय हाजा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) मालपुरा

द्वारा दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया। माफिक आदेश भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा नपती की गई, जिसमें आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लेहरू पिता जग्गु गुर्जर का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 हीरालाल पिता महाराम गुर्जर का अनाधिकृत कब्जा पाया, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पिता रूपा गुर्जर एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने पत्थरगढ़ी पर्चा मौका एवं नक्शा में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादवर्णित आराजियात पर अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे को हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे व वादीगण को हुए नुकसान की भरपाई प्रतिवादीगण से दिलाई जावें। वादपत्र में निम्न दस्तावेज प्रदर्श कराए गए जो निम्न है :—

क.स.	प्रदर्श	विवरण	वि.वि.
1	प्रदर्श—1	वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 26 की प्रति	
2	प्रदर्श—2	नक्शा ट्रेस की प्रति	
3	प्रदर्श—3	पत्थरगढ़ी आदेश की प्रति	

7. वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर पर्चे से स्पष्ट है, आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लेहरू पिता जग्गु गुर्जर का, आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 हीरालाल पिता महाराम गुर्जर का, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 छीतर पिता रूपा गुर्जर एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया। जिसको बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 26 में अंकित आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का, आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 अतिकमी की हैसियत से काबिज है, जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान, पटवार हल्का सगरेव की आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 4379 रकवा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/3/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 20 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 33

अनवान

1. श्यामलाल पिता गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
2. मदनलाल पिता गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
3. गंगादेवी पत्नि गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर
4. बक्षी पुत्री गोवर्धनलाल वैष्णव निवासी नयाखेड़ा जाटान सगरेव तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1. लेहरू पिता जग्गु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता महाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. छितर पिता रूपा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशन पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयाखेड़ा जाटान, पटवार हल्का सगरेव की आराजी संख्या 4382 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, आराजी संख्या 4380 रकबा 0.20 है0 सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2, आराजी संख्या 4379 रकबा 0.44 है0 सम्पूर्ण भूमि मे से 0.35 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिंखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डिक्री आज दिनांक 10/3/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा